निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1938 (श0)
(सं0 पटना 616) पटना, शुक्रवार, 22 जुलाई 2016

विधि विभाग

अधिसूचना

20 जुलाई 2016

सं0 सी0/ई0एच0-38/2000-4421जे0—राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में पटना उच्च न्यायालय में सरकारी मुकदमों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध निम्नरूपेण वरीय अधिवक्ताओं/ अधिवक्ताओं को प्रधान अपर महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता/स्थायी समुपदेशक/ सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया जाता है:-

प्रधान अपर महाधिवक्ता

1- श्री ललित किशोर, वरीय अधिवक्ता

2- श्री चितरंजन सिन्हा, वरीय अधिवक्ता-229/1975

अपर महाधिवक्ता

1- श्री पी0 के0 वर्मा, वरीय अधिवक्ता

2- श्री अंजनी कुमार, वरीय अधिवक्ता

3- श्री एस0 रजा अहमद, वरीय अधिवक्ता

4- श्री पुष्कर नारायण शाही, वरीय अधिवक्ता

5- श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा, 1009/1969

6- श्री कौशल कुमार झा, 1672/1991

7- श्री सूर्यदेव यादव, 58/1983

8- श्री अजय कुमार रस्तोगी, 460/1983

9- श्री राज बल्लभ प्रसाद यादव, 726/76

10-श्री खुर्शीद आलम, 876/1989
11-श्री सर्वेश कुमार सिंह, 294/1998-ए0ओ0आर0-01224
12-श्री दुर्गेश नन्दन, 1005/81
13-श्री आशुतोष रंजन पांडेय, 961/87

राजकीय अधिवक्ता

1- श्री अनिल कुमार सिन्हा, 1810/1991
2- श्री विनय किर्ति सिंह, 364/1983
3- श्री सुभाष प्रसाद सिंह, 1092/1981
4- श्री पार्थ सारथी, 1941/1995
5- श्री अजय, 1580/1998
6- श्रीमती नम्रता मिश्रा, 533/1999
7- श्री निवेदिता निर्वकार, 1327/1995
8- श्री अजय बिहारी सिन्हा, 505/1979
9- मो0 सैयद अलमदार हुसैन,850/82
10-श्री राजेश्वर सिंह, 2368/1993
11-श्री राघवानन्द, 170/2001
12-श्रीमति शिल्पा सिंह, 7011/99
13-श्री अमित प्रकाश, 5734/1996

स्थायी समुपदेशक

1- श्री नसरूल होदा खॉ, डी 66/86बी/1986
2- डा0 अनिल कुमार उपाध्याय, 445
3- श्री सुनील कुमार मंडल, 909/1990
4- श्री अरविन्द उज्ज्वल, 160/1982
5- श्री कुमार मनीष, 1436/1998
6- श्री अब्बास हैदर, 2726/1996
7- श्री कुमार आलोक, 1762/1991
8- श्री शिव शंकर प्रसाद, 1992
9- श्री किकर कुमार, 1869
10-मो0 रैसूल हक, 402/1980
11-श्री विकास कुमार, ए0ओ0आर0-01186
12-श्री पंकज कुमार, 2001/2005
13-श्री जितेन्द्र कुमार राय-01, 832/93
14-श्री एस0एस0पी0यादव, 2009/1998
15-श्री अन्नत प्रसाद सिंह, 4649
16-श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा, 1069/91
17-श्री गजेन्द्र प्रसाद यादव, 2023/96
18-श्री विनोद कुमार यादव, 690/2000
19-श्री ऋषि राज सिन्हा, 1992
20-श्री सैयद ईकबाल अहमद, 433/1979
21-श्रीमति अनुराधा सिंह, 6421/1996
22-श्री राघवेन्द्र कुमार, 929/2000
23-श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव, 527/2002
24-श्री अनीरबन कुन्डु, 2680/1995
25-श्री साजीद सलीम खान, 1828/1998

26-श्री मनोज कुमार अम्बस्ट, 108/1995
27-श्री इन्द्रदेव प्रसाद , 315/1998

सरकारी वकील

1- श्री राजीव राय, 691
2- श्री प्रशांत प्रताप, 1599/2002
3- श्रीमति कुमारी अमृता, 1732/1995
4- श्री मधुरेश प्रसाद, 3406/1997
5- श्री नदीम सेराज, 14/1995
6- श्री सत्यव्रत वर्मा, 827/1998
7- श्री विवेक प्रसाद, डी/405/1994
8- श्री हरिश कुमार, 2508/2001
9- श्री संजय कुमार गिरी, 6334/95
10-श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, 338/79
11-श्री कपिलेश्वर प्रसाद यादव, 2172/69
12-श्री मुजतबुद्दीन हक, 2754/1999
13-श्री बिरजु प्रसाद, 1270/1990
14-श्री धुरजटी कुमार प्रसाद, 3474/95
15-श्री सुभाष चन्द्र यादव, 1279/80
16-श्री सीता राम यादव, 3001/97
17-श्री कामेश्वर कुमार, 140/92
18-श्री राजकिशोर राय, 1513/1989
19-श्री उदय शंकर शरण सिंह, ए0ओ0आर0-00369
20-श्री मदनजीत सिंह, 3629/96
21-श्री अवनीश नन्दन सिन्हा, 2142/98
22-श्री सुशील कुमार, 86/1993
23-श्री माधव प्रसाद यादव, 435/92
24-श्री सर्वेश कुमार, 1903/2007
25-श्री रामाधार सिंह, 1166/92
26-श्री अनिल कुमार सिंह, 7857/96
27-श्री प्रभाकर झा, 2002/90

2. विधि पदाधिकारियों की यह नियुक्ति प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक प्रभावी होगी तथा इस नई नियुक्ति के फलस्वरूप(निगरानी वादों के संचालनार्थ पूर्व से नियुक्त विधि पदाधिकारियों को छोड़कर) पूर्व में गठित विधि पदाधिकारियों का पैनल स्वत: समाप्त समझा जाऐगा। परन्तु विधि पदाधिकारी (निगरानी) के रूप में पूर्व से नियुक्त दोनों विधि पदाधिकारी यथावत बने रहेंगे।

3. विधि पदाधिकारियों के कार्यो की मासिक समीक्षा विद्वान महाधिवक्ता/प्रधान अपर महाधिवक्ता के स्तर पर होगी तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन उनके द्वारा प्रति माह विधि विभाग को भेजी जाऐगी तथा इसी आधार पर विधि पदाधिकारियों के कार्यो का समीक्षा राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति, जिसमें विद्वान महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता विशेष आमंत्रित व्यक्ति रहेंगे, के द्वारा की जाऐगी तथा समीक्षाोपरान्त विधि पदाधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें विधि पदाधिकारी के पद से विमुक्त कर दिया जाऐगा।

4. सभी विधि पदाधिकारी अपने कार्यो की विवरणी, जिसमें उनके द्वारा निष्पादित केस एवं विशेष रूप से सरकार के पक्ष एवं विपक्ष में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए विद्वान महाधिवक्ता को प्रत्येक माह समर्पित करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख करेंगे कि कितने मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल हुआ और कितने में नहीं हुआ।

5. विधि पदाधिकारी अपने आवंटित मामलों में जहॉ सुनवाई हेतु स्वंय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

6. विधि पदाधिकारी सरकार के विरूद्ध आदेश होने पर विद्वान महाधिवक्ता को सूचित करते हुए संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को अपने परामर्श के साथ भेजेंगे कि इस मामले में अपील/पुर्नविचार दायर किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र (अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर) अपने परामर्श के साथ संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे।

7. विधि पदाधिकारी सरकार के खिलाफ या सरकारी निगम/बोर्ड/अर्द्धनिकाय या जहॉ सरकार का कोई हित निहित है, के मामले में सरकार के विरूद्ध काम नहीं करेंगे, चाहे वह मामला उनकी नियुक्ति की तिथि के पूर्व का ही क्यों न हो। ऐसे मामले दृष्टान्त में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी।

8. पूर्व के आदेश को विलोपित करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि महाधिवक्ता या प्रधान अपर महाधिवक्ता आठ-आठ सहायक अधिवक्ताओं की सेवा ले सकते है तथा अपर महाधिवक्ता को 6 सहायक अधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता को 5 सहायक अधिवक्ता एवं सरकारी वकील तथा स्थायी सलाहकार को चार-चार सहायक अधिवक्ताओं की सेवा अनुमान्य होगी, परन्तु सहायक अधिवक्ता को विधि व्यवसाय का तीन साल का अनुभव होना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में पूर्व के सारे आदेश निरस्त किये जाते हैं।

9. सभी विधि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्ति के दो माह के अन्दर सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति की अनुशंसा विद्वान महाधिवक्ता के माध्यम से बायोडाटा सहित विधि विभाग को भेज दें। उपर्युक्त अवधि के बाद प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार नहीं किया जाऐगा। साथ ही अगर बीच में किसी सहायक अधिवक्ता को हटाकर किसी दूसरे सहायक अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है तो सहायक अधिवक्ता को हटाने के एक सप्ताह के अन्दर विधि विभाग को महाधिवक्ता के माध्यम से सूचित किया जाऐगा तथा उसके एक महीने के अन्दर दूसरे सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया जाऐगा। इस सम्बन्ध में पूर्व के आदेश निरस्त किये जाते हैं।

10. विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी इस आदेश में नामित क्रमांक विधि पदाधिकारी के परस्पर वरीयता का निर्धारण नहीं माना जाऐगा।

11. पटना उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त उक्त विधि पदाधिकारियों को निर्धारित दर पर अनुमान्य प्रतिधारण/दैनिक एडमिशन/सुनवाई शुल्क देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (**असाधारण**) 616-571+100-**डी**0**टी**0**पी**0**।**
Website: http://egazette.bih.nic.in